JobSarkari.com (The Best Government Jobs Website)

झारखण्ड सरकार

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग

चायबगान, कालीनगर, नामकोम, राँची–834010.
e-mail - jharkhand_ssc@rediffmail.com

विवरणिका

विज्ञापन संख्या–11/2017
झारखण्ड राज्य क्षेत्रीय लिपिक (समाहरणालय सहित) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा (मूल कोटि)–2017

{FCLCE-2017}

To Search Govt Jobs Always Type JOBSARKARI.com in GOOGLE

JobSarkari.com (The Best Government Jobs Website)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–1406 (अनु0) दिनांक–16.02.2016, पत्रांक–3372 (अनु0) दिनांक–26.04.2016 तथा पत्रांक 11780 दिनांक 30. 11.2017 द्वारा संसूचित क्रमशः योजना–सह–वित्त विभाग के तहत राज्य कोषागारों में निम्नवर्गीय लिपिक, विभिन्न समाहरणालय सम्वर्ग के अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक तथा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय/जिला कार्यालय के अधीन निम्नवर्गीय लिपिक की रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति निमित्त सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन हेतु झारखण्ड राज्य के समूह–'घ' के कर्मियों से विहित प्रपत्र में **झारखण्ड राज्य क्षेत्रीय लिपिक (समाहरणालय सहित) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा (मूल कोटि)–2017** के लिये **ऑन–लाईन (Online)** आवेदन पत्र आंमत्रित किये जाते हैं। उम्मीदवार निर्धारित अर्हता तथा शैक्षणिक योग्यता के अनुसार आवेदन दे सकते है। ऑन–लाईन (Online) आवेदन आयोग के वेबसाईट– **www.jssc.in** अथवा **www.jssc.nic.in** पर लॉगईन करके दिनांक 05.03.2018 से 04.04. 2018 तक समर्पित किया जा सकता है। तदुपरान्त लिंक परीक्षा शुल्क भुगतान तथा फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए क्रमशः 09.04.2018 एवं 13.04.2018 तक उपलब्ध रहेगा।

2. रिक्तियों का विवरण :

(i) निम्नवर्गीय लिपिक (विभिन्न समाहरणालय संवर्ग के अंतर्गत)

पदों की संख्या

क्र॰ सं॰	जिला	आरक्षण कोटि					कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण				
		अना–रक्षित	अ॰जा॰	अ॰ज॰जा॰	पि॰व॰ (अनु॰–II)	अ॰पि॰व॰ (अनुसूची–I)	कुल रिक्ति	महिला	दृष्टि निःशक्तता	मूक बधिर निःशक्तता	चलन निःशक्तता
1.	राँची	03	01	01	00	00	05	00	00	00	00
2.	गुमला	01	00	01	00	00	02	00	00	00	00
3.	सिमडेगा	03	01	01	00	00	05	00	00	00	00
4.	लोहरदगा	04	01	02	00	00	07	00	00	00	00
5.	रामगढ़	02	01	01	00	00	04	00	00	00	00
6.	बोकारो	04	01	01	01	00	07	00	00	00	00
7.	धनबाद	08	02	01	01	02	14	00	00	00	00
8.	हजारीबाग	05	01	01	01	01	09	00	00	00	00
9.	चतरा	03	01	01	00	00	05	00	00	00	00
10.	गिरीडीह	09	02	01	01	02	15	00	00	00	00
11.	पलामू	12	04	01	00	02	19	00	00	00	00
12.	लातेहार	06	02	00	00	00	08	00	00	00	00
13.	गढ़वा	06	01	02	00	01	10	00	00	00	00
14.	देवघर	01	00	00	00	00	01	00	00	00	00
15.	जामताड़ा	01	00	00	00	00	01	00	00	00	00
16.	गोड्डा	01	00	01	00	00	02	00	00	00	00
17.	साहेबगंज	01	00	00	00	00	01	00	00	00	00
18.	पश्चिमी सिंहभूम	13	01	05	00	00	19	00	00	00	00
19.	सरायकेला–खरसावाँ	03	01	01	00	00	05	00	00	00	00
20.	पूर्वी सिंहभूम	04	01	00	01	02	08	00	00	00	00
21.	खूंटी	अप्राप्त									
22.	कोडरमा										
23.	दुमका										
24.	पाकुड़										
कुल योग		**90**	**21**	**21**	**05**	**10**	**147**	**00**	**00**	**00**	**00**

To Search Govt Jobs Always Type JOBSARKARI.com in GOOGLE

JobSarkari.com (The Best Government Jobs Website)

(ii) निम्न वर्गीय लिपिक (कोषागार लिपिकीय संवर्ग– राज्यस्तरीय संवर्ग)

पदों की संख्या

क्र॰ सं॰	आरक्षण कोटि					कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण				
	अना–रक्षित	अ॰जा॰	अ॰ज॰जा॰	पि॰व॰ (अनु॰–II)	अ0 पि॰व॰ (अनुसूची–I)	कुल रिक्ति	महिला	दृष्टि निःशक्तता	मूक बधिर निःशक्तता	चलन निःशक्तता
1.	17	03	08	02	03	33	02	00	00	01

क) स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय/जिला कार्यालय के अधीन निम्नवर्गीय लिपिक

क्र॰ सं॰	जिला/कार्यालय	आरक्षण कोटि					कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण				
		अना–रक्षित	अ॰जा॰	अ॰ज॰जा॰	पि॰व॰ (अनु॰–II)	अ॰पि॰व॰ (अनुसूची–I)	कुल रिक्ति	महिला	दृष्टि निःशक्तता	मूक बधिर निःशक्तता	चलन निःशक्तता
1.	सिविल सर्जन कार्यालय, जमशेदपुर	08	00	06	00	02	16	00	00	00	00
2.	सिविल सर्जन कार्यालय, लातेहार	05	02	06	00	00	13	00	00	00	00
3.	सिविल सर्जन कार्यालय, लोहरदगा	02	00	01	00	00	03	00	00	00	00
4.	सिविल सर्जन कार्यालय, गढ़वा	13	04	04	00	00	21	00	00	00	00
5.	सिविल सर्जन कार्यालय, कोडरमा	01	00	00	00	00	01	00	00	00	00
6.	पी॰एम॰सी॰एच॰ धनबाद	00	00	00	01	00	01	00	00	00	00
7.	सदर अस्पताल, धनबाद	02	00	00	00	00	02	00	00	00	00
8.	सिविल सर्जन कार्यालय, चाईबासा	10	01	07	00	00	18	00	00	00	00
9.	सिविल सर्जन कार्यालय, हजारीबाग	04	02	00	01	01	08	00	00	00	00
10.	इटकी आरोग्यशाला, इटकी, राँची	01	00	01	00	00	02	00	00	00	00
कुल योग		46	09	25	02	03	85	00	00	00	00

टिप्पणी: अनुसूचित जन जाति के लिए विज्ञापित पदों की संख्या में 2 (दो) प्रतिशत पद आदिम जन जाति के अभ्यर्थियों के लिए क्षैतिज आरक्षण के तहत अनुमान्य होगा। आदिम जन जाति के योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उक्त पद अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाएगें। आदिम जनजाति के आरक्षित पद के विरूद्ध दावा करने वाले अभ्यर्थियों को कंडिका 8(III) (i) द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र संख्या एवं तिथि प्रविष्ट करना होगा।

To Search Govt Jobs Always Type JOBSARKARI.com in GOOGLE

JobSarkari.com (The Best Government Jobs Website)

3. पात्रता की शर्त्तेः–

3.1 सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से समूह 'ग' के पद (निम्नवर्गीय लिपिक) पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी की पात्रता उसी विभाग/जिला के लिए होगी, जहाँ वह समूह–'घ' के पद पर पदस्थापित है। अर्थात् किसी जिला के समाहरणालय में समूह 'घ' के पद पर कार्यरत व्यक्ति की प्रात्रता उस जिला के समाहरणालय की रिक्ति तक सीमित होगी। इसी तरह किसी विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में समूह 'घ' में कार्यरत कर्मी की पात्रता उस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों की रिक्ति तक सीमित रहेगी।

3.2 सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए संबंधित विभागों के विभिन्न कार्यालयों /समाहरणालयों में कार्यरत समूह–'घ' के कर्मियों के लिए पात्रता निम्नवत होगीः–

(i) आवेदन की तिथि को सेवा संपुष्ट हो।

(ii) आवेदन की तिथि को धारित पद पर लगातार कम से कम दस वर्षो की सेवा पूर्ण हो।

(iii) आवेदन की तिथि को कर्मी पर कोई विभागीय/फौजदारी कार्यवाही लंबित न हो और न ही आवेदन की तिथि को आवेदक निलंबित हो अथवा उस पर कोई दण्ड प्रभावी हो।

(iv) आवेदन की तिथि को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/इंटरमीडियट काउन्सिल या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इंटरमीडियट या 10+2 कक्षा उत्तीर्ण हों।

(v) **वैसे कर्मी आवेदन देने के पात्र नहीं होगें जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अथवा आपराधिक कार्यवाही लम्बित हो या जिनके विरुद्ध संसूचित शास्ति प्रभावी हो।**

3.3 उपर्युक्त कंडिका में वर्णित पात्रता के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र उस कार्यालय के कार्यालय प्रधान द्वारा निर्गत किया जायेगा जिसमें सम्बन्धित कर्मी समूह 'घ' के पद पर कार्यरत हैं तथा इस प्रमाण पत्र की निर्गम संख्या, तिथि एवं निर्गम प्राधिकार के पदनाम की सूचना ऑन लाईन आवेदन पत्र में दर्ज की जायेगी।

3.4 परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व कर्मी यह सुनिश्चित हो लें कि वे विज्ञापित पद की पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्त्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबन्धिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नही करता है कि कर्मी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं क्योंकि आयोग मुख्य परीक्षा के बाद सफल अभ्यर्थियों की पात्रता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच कर सकता है। निर्धारित जाँच कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने तथा आवेदन में भरे गये पात्रता सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा/अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।

To Search Govt Jobs Always Type JOBSARKARI.com in GOOGLE

JobSarkari.com (The Best Government Jobs Website)

4. कंडिका–2 में वर्णित पदों का वेतनमान, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तथा कौशल परीक्षण निम्नवत् हैः–

पदनाम	वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	*कौशल एवं अन्य परीक्षण*
2	3	4	*5*
निम्नवर्गीय लिपिक (विभिन्न समाहरणालयों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के संवर्ग के अंतर्गत)	5200–20200(**PB-I**) ग्रेड वेतन– 1900 (अपुनरीक्षित)	इंटरमीडिएट /(10+2) उत्तीर्ण	हिन्दी टंकण (Kruti Deo 010) में 25 (पचीस) शब्द प्रति मिनट की गति से 250 (दो सौ पचास) शब्दों को दस मिनट में कम्प्यूटर पर टंकित करना होगा। इसमें उत्तीणता प्राप्त करने के लिए 2% (दो प्रतिशत) से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वैसे उम्मीदवार आयोग द्वारा अयोग्य करार दिये जायेंगे।

5. **शैक्षणिक योग्यता का निर्धारणः–** शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए online आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि (Reference Date) माना जायेगा।

6. **आयु सीमाः– चूँकि विज्ञापित रिक्तियाँ सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भरी जानी है अतएव इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी की कोई अधिकतम उम्र सीमा विहित नहीं है।**

7. **निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए सुविधा :**

निःशक्त श्रेणी के उम्मीदवारों को परीक्षा में उत्तर देने के लिए 20 मिनट प्रति घंटा की दर से अतिरिक्त समय दिया जायेगा। इस श्रेणी के उम्मीदवारों को उनके अनुरोध पर स्क्राईब की सुविधा निम्न शर्तों के अधीन दी जायेगी

(i) 40% (चालीस) प्रतिशत अथवा इससे अधिक निःशक्तता वाले अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक/स्क्राइब की सुविधा देय है।

(ii) वैसे निःशक्त अभ्यर्थियों को ही श्रुतलेखक/स्क्राइब की सुविधा मिलेगी जिनके प्रवेश पत्र (Admit Card) में Category के समक्ष आरक्षण वर्ग के पश्चात् PH मुद्रित हो।

(iii) निःशक्त कर्मी श्रुतलेखक/स्क्राइब की व्यवस्था स्वयं कर सकते हैं अथवा उनके द्वारा श्रुतलेखक/स्क्राइब की मांग करने पर सम्बन्धित परीक्षा केन्द्र के परीक्षाधीक्षक द्वारा यह सुविधा अनुमान्य करायी जायेगी।

(iv) निःशक्त कर्मी प्रवेश पत्र (Admit Card) में निर्धारित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक को श्रुतलेखक/स्क्राइब की सुविधा प्रदान करने के लिए अपना आवेदन पत्र परीक्षा की तिथि से तीन दिनों पूर्व समर्पित करेंगे। यदि निःशक्त कर्मी द्वारा स्वयं श्रुतलेखक/स्क्राइब की व्यवस्था की जाती है तो सम्बन्धित श्रुतलेखक/स्क्राइब के सम्बन्ध में सूचना सम्बन्धित केन्द्राधीक्षक को **विहित प्रपत्र (परिशिष्ट–V)** में दी जायेगी। सम्बन्धित कर्मी इस आवेदन के साथ निःशक्तता प्रमाण पत्र की स्व–आभिप्रमाणित प्रति भी संलग्न करेंगे।

To Search Govt Jobs Always Type JOBSARKARI.com in GOOGLE

JobSarkari.com (The Best Government Jobs Website)

(v) यदि निःशक्त कर्मी द्वारा स्वयं श्रुतलेखक/स्क्राईब की व्यवस्था नहीं की जा सकती है तो श्रुतलेखक/स्क्राईब उपलब्ध कराने के लिए प्रवेश पत्र में निर्धारित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक को परीक्षा की तिथि से तीन दिन पूर्व आवेदन पत्र समर्पित करेंगे। सम्बन्धित कर्मी इस आवेदन के साथ निःशक्तता प्रमाण पत्र की स्व–आभिप्रमाणित प्रति भी संलग्न करेंगे।

(vi) यदि निःशक्त कर्मी श्रुतलेखक/स्क्राईब की व्यवस्था स्वयं करते हैं तो श्रुतलेखक/स्क्राइब से सम्बन्धित सूचना कर्मी के प्रवेश पत्र में निर्धारित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक को **विहित प्रपत्र (परिशिष्ट–V)** में परीक्षा की तिथि को परीक्षा प्रारम्भ होने के $1\frac{1}{2}$ घंटे पूर्व निःशक्तता प्रमाण पत्र की स्व–आभिप्रमाणित प्रति के साथ देंगे।

(vii) उपर्युक्त कंडिकाओं में अंकित अनुदेशों का पालन नहीं करने पर सम्बन्धित केन्द्राधीक्षक द्वारा श्रुतलेखक/स्क्राइब की सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जायगी, जिसके लिए सम्बन्धित कर्मी ही उतरदायी होंगे।

(viii) परीक्षा की तिथि को श्रुतलेखक/स्क्राइब के साथ कर्मी परीक्षा के $1\frac{1}{2}$ घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र पर निश्चित रूप से उपस्थित होंगे।

(ix) केन्द्राधीक्षक द्वारा निःशक्त अभ्यर्थियों को सभी पालियों की परीक्षा में प्रति घंटा 20 मिनट की दर से अतिरिक्त समय दिया जायेगा।

8. आरक्षण :

(I) आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का दावा करने पर यह माना जाएगा कि कर्मी द्वारा दावा किये गए आरक्षण कोटि का सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र धारित किया जाता है।

(II) आरक्षण का लाभ एवं उम्र सीमा में छूट केवल झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी को ही देय होगी। झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी को छोड़कर अन्य सभी कर्मी सामान्य/अनारक्षित श्रेणी के माने जायेंगे।

(III) विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तक झारखण्ड सरकार द्वारा लागू आरक्षण सम्बन्धी सभी नियम प्रभावी होंगे। आरक्षण का दावा करने वाले झारखण्ड के स्थानीय निवासी उम्मीदवार को निम्न प्रमाण–पत्र आयोग द्वारा **प्रमाण–पत्रों के सत्यापन के** अवसर पर समर्पित करना अनिवार्य होगाः–

(i) जाति प्रमाण पत्र– जिला/अनुमंडल के उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी से विहित–प्रपत्र {अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए **परिशिष्ट–I पर अंकित प्रपत्र** तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के लिए **परिशिष्ट–II पर अंकित प्रपत्र**} में अद्यतन निर्गत जाति प्रमाण–पत्र।

(ii) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के लिए दिनांक 31.03.2016 के पश्चात् विहित–प्रपत्र **(परिशिष्ट–II पर अंकित प्रपत्र)** में निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा।

To Search Govt Jobs Always Type JOBSARKARI.com in GOOGLE

JobSarkari.com (The Best Government Jobs Website)

(iii) महिलाओं के आरक्षित पदों के लिए स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 4650 दिनांक 02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट–III पर अंकित प्रपत्र) में अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा **एवं अनिवार्य रूप से प्रमाण पत्र की संख्या तथा तिथि आवेदन में अंकित करना होगा तथा इस प्रमाण पत्र को प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा।**

(iv) दिव्यांग कोटि (दृष्टिदोष/मूक वधिर/चलन निःशक्तता, सेरेब्रल पाल्सी) के तहत क्षैतिज आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र की संख्या एवं उसके निर्गम की तिथि ऑन लाईन आवेदन पत्र में अंकित करनी होगी तथा प्रमाण पत्रों के जाँच के समय उक्त प्रमाण पत्र जाँच हेतु आयोग को उपलब्ध कराना होगा। दिव्यांग कोटि के अधीन क्षैतिज आरक्षण का लाभ झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों को ही देय है।

(v) **सभी वांछित प्रमाण पत्रों की संख्या एवं निर्गत तिथि आवेदन में अंकित करना अनिवार्य है।**

स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र परिशिष्ट के रूप में विवरणिका में संलग्न है। आवेदक उपर्युक्त प्रपत्रों में सक्षम स्तर से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही ऑन लाईन आवेदन पत्र भरना सुनिश्चित करे तथा ऑन लाईन आवेदन प्रपत्र में यथा स्थान अपने जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की संख्या एवं निर्गम तिथि दर्ज करें। उक्त प्रमाण पत्रों की मांग आयोग आवश्यकतानुसार कभी भी कर सकता है।

नोटः– सक्षम स्तर से भिन्न स्तर एवं विवरणिका के परिशिष्ट–I, परिशिष्ट–II एवं परिशिष्ट–III पर अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र/ स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा तथा ऐसे प्रमाण पत्रों के आधार पर भरे गये आवेदन पत्र नियुक्ति प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रद्द किये जा सकते है, जिसके लिए संबंधित आवेदक स्वयं उतरदायी होगे।

(IV) *स्क्राईब हेतु आवेदन पत्र प्रपत्र परिशिष्ट–V पर उपलब्ध है।*

9. **स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र** :– झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी महिला तथा दिव्यांग आवेदकों द्वारा अपने दावे के समर्थन में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्र सं०–4650, दिनांक 02.06.2016 द्वारा विहित प्रपत्र में अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक–02.06.2016 अथवा इसके उपरांत जारी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आयोग द्वारा **प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन** के अवसर पर समर्पित करना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्र की प्रविष्टि आवेदन पत्र में संबंधित आवेदकों द्वारा की जायेगी। प्रमाण पत्र का मानक प्रारूप परिशिष्ट - III के रूप में विवरणिका में संलग्न है।

10. **आवेदन पत्र को भेजना** :– ऑन–लाईन आवेदन को भरने के लिए दिए गये दिशा निर्देश का अक्षरशः पालन करें। आवेदन पत्र में प्रविष्ट सूचनाओं से पूर्ण संतुष्ट होने के पश्चात ही आवेदन पत्र को समर्पित (Submit) करें। आवेदन पत्र भरने के लिए आयोग

To Search Govt Jobs Always Type JOBSARKARI.com in GOOGLE

JobSarkari.com (The Best Government Jobs Website)

के वेवसाईट www.jssc.in या www.jssc.nic.in पर जाएँ एवं Online Application for **FCLCE-2017** पर Click करें तथा आवेदन पत्र भरें। आवेदन पत्र भरने के क्रम में नियुक्ति हेतु पद का विकल्प अपनी शैक्षणिक योग्यतानुसार देना आवश्यक होगा। आवेदकों को सूचित किया जाता है कि आवेदन Submit करने के पूर्व भरे गये आवेदन को ठीक से देख लें। यदि कोई त्रुटि है तो उसे सुधार कर ही आवेदन Submit करें। एक बार आवेदन Submit करने के पश्चात् परीक्षाफल को प्रभावित करने वाली किसी भी प्रविष्टि यथा जन्म तिथि, जाति, निःशक्त जन प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, चयनित विषय इत्यादि में सुधार का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा और भरे गये आवेदन के आधार पर ही आवेदक के सन्दर्भ में परीक्षा प्रक्रिया पूरी होगी। ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थियों के द्वारा जिन प्रमाण पत्रों की संख्या एवं तिथि का उल्लेख किया जाएगा उन प्रमाण पत्रों की मूल प्रति **प्रारम्भिक सत्यापन** कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से **सत्यापन** हेतु प्रस्तुत करना होगा अन्यथा आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा /अभ्यर्थिता रद्द समझी जाएगी।

11. परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम :-

परीक्षा का स्वरूप:- आयोग द्वारा यह परीक्षा दो चरणों में ली जायेगी। प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी। द्वितीय चरण में टंकण जाँच होगी, जो मात्र अर्हक प्रकृति का होगा। इसमें सफल होना आवश्यक होगा। टंकण जाँच में असफल अभ्यर्थी मेधासूची में शामिल नहीं किये जायेंगे।

अवधि एवं पूर्णांक:-

क्र० स०	परीक्षा का चरण	अवधि	अंक
1	प्रथम चरण (लिखित परीक्षा)	02 घंटा	100
2	द्वितीय चरण (टंकण जाँच)	10 मिनट	अर्हक

प्रथम चरण (लिखित परीक्षा) का पाठ्यक्रम:-

निम्नलिखित उपखण्डों से विषयनिष्ठ (Subjective) प्रश्न पूछे जायेंगे जिनमें ऋणात्मक अंक का प्रावधान नहीं होगा :-

क्र० स०	परीक्षा का विषय	प्रश्नों का स्वरूप	कुल अंक
1	हिन्दी के 200 शब्दों के अनुच्छेद को सुन्दर अक्षर	विषयनिष्ठ (Subjective)	10
2	हिन्दी के अनुच्छेद का संक्षेपण	विषयनिष्ठ (Subjective)	10
3	डायरी एवं प्रेषण पंजी में (10-10) कुल 20 प्रविष्टि करना	विषयनिष्ठ (Subjective)	10
4	अंग्रेजी के अनुच्छेद का हिन्दी में अनुवाद करना	विषयनिष्ठ (Subjective)	20
5	हिन्दी के दस अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना	विषयनिष्ठ (Subjective)	10

To Search Govt Jobs Always Type JOBSARKARI.com in GOOGLE

JobSarkari.com (The Best Government Jobs Website)

निम्नलिखित उपखण्डों से वस्तुनिष्ठ (Objective) चार बहुविकल्पीय उत्तर आधारित 40 प्रश्न पूछे जायेंगे जिसमें एक विकल्प सही उत्तर होगा। अभ्यर्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक (1) अंक प्रदान किये जायेंगे परन्तु किसी गलत उत्तर के लिए 0.33 (शून्य दशमलव तीन तीन) अंक की कटौती की जायेगी।

क्र० स०	परीक्षा का विषय	प्रश्नों का स्वरूप	कुल अंक
1	गणित, सामान्य ज्ञान / सामान्य विज्ञान एवं कम्प्यूटर के मूलभूत ज्ञान संबंधी प्रश्न (मैट्रिक स्तरीय विस्तृत पाठ्यक्रम अनुसूची–I पर संलग्न)	वस्तुनिष्ठ (Objective) चार बहुविकल्पीय उत्तर आधारित	40
	कुल	**100**	**100**

द्वितीय चरण (टंकण जाँच):–

क) विवरणिका की कंडिका 12 में अंकित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के सन्दर्भ में आयोग के द्वारा टंकण जाँच परीक्षा आयोजित की जायेगी। प्रथम चरण की लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी यदि उपलब्ध हों तो रिक्तियों की संख्या से ढाई गुणा अभ्यर्थियों को टंकण जाँच के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

ख) टंकण जाँच :– इसमें में सम्बंधित अभ्यर्थी को हिन्दी भाषा (Kruti Deo 010) में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से 250 शब्दों को कम्प्यूटर पर टंकित करना होगा। इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए दो प्रतिशत से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वैसे उम्मीदवार को चयन के लिए अयोग्य करार दिया जायेगा।

12. लिखित परीक्षा का न्यूनतम अर्हतांक:– प्रथम चरण (लिखित परीक्षा) हेतु विभिन्न कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक निम्नवत् होगा–

आरक्षण कोटि	न्यूनतम अर्हतांक
सामान्य वर्ग	40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2)	36.5 प्रतिशत
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1)	34 प्रतिशत
अनुसूचित जाति / जनजाति एवं महिला वर्ग	32 प्रतिशत

13. मेधासूची का गठन:–

(i) आयोग के द्वारा टंकण जाँच परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्रथम चरण की परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर मेधा सूची (Merit List) गठित होगी।

(ii) मेधा सूची गठन के पश्चात् आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के प्रमाण–पत्रों की प्रारंभिक जाँच करायी जायेगी। तत्पश्चात् आयोग के द्वारा संबंधित प्राधिकार की अधियाचना के अनुरूप आरक्षण कोटिवार मेधाक्रमानुसार अंतिम अनुशंसा भेजी जायेगी।

(iii) मेधा–सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal Marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हे अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक

To Search Govt Jobs Always Type JOBSARKARI.com in GOOGLE

JobSarkari.com (The Best Government Jobs Website)

उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके नाम के अंग्रेजी वर्त्तनी (Spelling) के वर्णक्रम के अनुसार मेधा का निर्धारण किया जायेगा और इसके निर्धारण के लिये आवेदन में अंकित अंग्रेजी में लिखे गये नाम को आधार माना जायेगा।

(iv) मेधा के आधार पर अनारक्षित पद के लिये तैयार मेधा सूची में समान मापदंड पर आरक्षित वर्ग के कर्मी के आने की स्थिति में उक्त कर्मी की गणना अनारक्षित वर्ग की रिक्ति के विरूद्ध की जायेगी।

(v) वैसे कोई कर्मी जिनके द्वारा आरक्षण कोटि के अनुरूप किसी प्रकार की रियायत ली जाती है उनका चयन अपनी आरक्षण कोटि की रिक्ति के विरूद्ध ही किया जायेगा।

(vi) प्रमाण पत्रों की जांच के क्रम में यदि किसी उम्मीदवार के दावों का सत्यापन नहीं हो पाता है और उनकी उम्मीदवारी रद्द हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित कोटि में रिक्त पदों की उपलब्धता के आलोक में मेधा सूची से क्रम के अनुसार उम्मीदवारों को प्रमाण–पत्रों की प्रारम्भिक जाँच के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

14. परीक्षा शुल्क :

परीक्षा शुल्क रू॰ 800/– (रूपये आठ सौ) है।

परीक्षा शुल्क में छूटः– झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रू॰ 200/– (रूपये दो सौ) है। झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जा सकती है। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जा सकेगें। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा। परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को बैंक चार्ज के रूप में अपेक्षित राशि का भुगतान भी करना होगा।

15. ऑन–लाईन (Online) आवेदन को भरने के लिए दिशा निर्देश :

(i) आवेदक अपने नाम की वर्त्तनी (spelling) वही लिखेंगे जो मैट्रिक/10वीं के सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित है। सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित नाम और आवेदन पत्र में भरे गये नाम की वर्त्तनी (Spelling) में अंतर नहीं होना चाहिये। आवेदन में नाम से संबंधित सूचना में नाम के आगे श्री/मिस्टर/श्रीमान् आदि शब्दों का व्यवहार नहीं किया जाय।

(ii) आवेदक के मैट्रिक सर्टिफिकेट/अंक पत्र में जो उनकी जन्म तिथि अंकित यथा– तिथि, महीना और वर्ष है, वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर लिखेंगे।

(iii) आवेदन पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम आयोग के वेवसाईट www.jssc.in अथवा www.jssc.nic.in पर जाएँ एवं Online Application for **FCLCE-2017** को Click करें। तत्पश्चात अपना पंजीकरण (Registration) करें। पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होते ही आपके मोबाईल फोन एवं ईमेल पर पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड आ जायेगा। पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड को नोटकर सुरक्षित रखें क्योंकि भविष्य में लॉग–इन करने के लिए इन दोनों की आवश्यकता होगी।

To Search Govt Jobs Always Type JOBSARKARI.com in GOOGLE

(iv) पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड प्राप्त होते ही आप पुनः लॉग–इन करें एवं आप अपने बारे में विस्तृत सूचना भरें। ऑनलाईन आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ को Save and Continue करने के पश्चात् अगले पृष्ठ की सूचना भरा जाना आवश्यक है अन्यथा भरे गये आवेदन का प्रिंटआऊट (print out) नहीं निकल पायेगा। जिस तिथि को आप यह कार्य पूरा कर लेते हैं उसकी अगली तिथि को 12:00 बजे मध्याह्न के पश्चात् पुनः लॉग–इन करें एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान कर दें।

(v) **परीक्षा शुल्क भुगतान करने के दो दिनों के बाद पुनः लॉग–इन कर अपना स्कैन (Scanned) किया हुआ फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड कर दें तथा भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट अनिवार्यतः लेकर अग्रेतर आवश्यकताओं हेतु अपने साथ रखें।**

16. आवेदन पत्र समर्पित करने की अवधि–

आवेदन पत्र में सभी सूचनाएँ भरा जाना अनिवार्य है अन्यथा Online आवेदन Submit नहीं हो पायेगा। ऑन–लाईन आवेदन भरने के लिए लिंक दिनांक 05.03.2018 के दिनांक 04.04.0218 तक समर्पित किया जा सकता है तथा आवेदन पत्र को भरने की अन्तिम तिथि 04.04.2018 के मध्य रात्रि तक होगी। कर्मी द्वारा प्रथमतः Online आवेदन पत्र में प्रारंभिक विवरण भरा जाएगा। उसके बाद परीक्षा शुल्क के भुगतान करने के लिए लिंक दिनांक 09.04.2018 के मध्य रात्रि तक उपलब्ध रहेगा। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन संख्या डालकर आवेदन पत्र में परीक्षा शुल्क भुगतान का विवरण तथा अपना फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करते हुए अपना आवेदन पत्र Submit करेंगे। इसके लिए लिंक दिनांक 13.04.2018 की मध्य रात्रि तक उपलब्ध रहेगा। दिनांक 04.04.2018 की मध्य रात्रि के बाद कर्मी अपना प्रारंभिक विवरण नहीं भर पायेंगे एवं रजिस्ट्रेशन नहीं कर पायेंगे। आवेदन पत्र को भरने के पूर्व कर्मी विज्ञापन एवं विवरणिका को डाउनलोड कर लें तथा विवरणिका की शर्तों के अनुसार आवेदन पत्र में सूचना अंकित करें।

17. परीक्षा शुल्क भुगतान करने की विधि–

परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए www.onlinesbi.com पर जाकर State Bank Collect Click करें। एक नया पेज खुल जायेगा जिसमें Term & Condition को टिक (√) कर Proceed बटन दबाकर आगे बढ़ें। एक नया पेज खुल जायेगा जिसमें State of Corporate/Institution के सामने Jharkhand Select करें तथा Type of Corporate/Institution के सामने Govt. Department Select करें तथा Go बटन दबा कर अगला पेज खोलें जिसमें Govt. Department Name के विरुद्ध Jharkhand Staff Selection Commission Select कर Submit बटन दबा दें। इसके बाद Select Payment category के सामने **FCLCE-2017** Select करें तथा अपना Registration Number डालकर अपना परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।

18. नियुक्ति :

(i) परीक्षा में सफलता सेवा में नियुक्ति के लिये कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगा, जब तक झारखण्ड सरकार का, ऐसी जांच के पश्चात्, जो आवश्यक समझी जाय, समाधान नहीं हो जाता है कि कर्मी लोक सेवा में नियुक्ति के लिये अपने चरित्र और पूर्व वृत्त के सम्बन्ध में सभी प्रकार से उपयुक्त है।

To Search Govt Jobs Always Type JOBSARKARI.com in GOOGLE

JobSarkari.com (The Best Government Jobs Website)

(ii) सेवा में नियुक्तियाँ समय–समय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के लिये सेवा में विशेष प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में आदेशों के अध्याधीन होगी।

(iii) **वैसे व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे जिन्होंने** :–

(क) ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह का अनुबंध किया हो जिसका पति/पत्नी जीवित है; या

(ख) जीवित पति/पत्नी के रहते हुए किसी से विवाह या विवाह का अनुबंध किया हो;

(ग) विवाह के समय दहेज दिया है या लिया है।

19. अन्यान्य :

1. आयोग द्वारा परीक्षाओं के संचालन के अवसर पर झारखण्ड परीक्षा संचालन अधिनियम, 2001 के प्रावधान प्रभावी होंगे।

2. आवेदन में अंकित सूचनाओं एवं प्रविष्ठियों की पूर्ण जिम्मेवारी आवेदक की होगी तथा किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।

3. आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के विषय पर अभ्यर्थी/उनके माता–पिता/अभिभावक द्वाराः–

(i) आवेदन प्रपत्र में गलत सूचना देने/गलत प्रमाण पत्र समर्पित करने/जालसाजी,

(ii) परीक्षा के दौरान अवैध तरीका अपनाने/नकल करने/फर्जी कर्मी को अपनी जगह पर परीक्षा में बैठाने/कदाचार करने में लिप्त पाये जाने,

(iii) प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच के अवसर पर आयोजित काउन्सेलिंग (Counselling) के दौरान फर्जी प्रमाण–पत्रों/फर्जी पहचान के आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में स्थान पा जाने की स्थिति में वे निम्न दण्ड के भागी होंगे :–

(क) कर्मी की उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी।

(ख) कर्मी को आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग लेने के लिये अगले 2 वर्षों के लिये वंचित कर दिया जायेगा।

(ग) अपराधिक घटना की स्थिति में अभ्यर्थी/उनके माता–पिता/अभिभावक यथास्थिति जो भी उत्तरदायी हो, के विरूद्ध विधि के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

(iv) ऑनलाईन आवेदन में अंकित सभी प्रमाण पत्रों के मूल प्रति का सत्यापन प्रमाण पत्र सत्यापन कार्यक्रम में किया जायेगा। इस अवसर पर सभी प्रमाण पत्रों के साथ कर्मी की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसका अनुपालन नहीं होने की स्थिति में आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द समझी जाएगी। आयोग परीक्षा प्रक्रिया के बीच कभी भी किसी भी कर्मी की अभ्यर्थिता की जाँच एवं प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर सकता है।

To Search Govt Jobs Always Type JOBSARKARI.com in GOOGLE

JobSarkari.com (The Best Government Jobs Website)

4. आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र/उम्मीदवारी निम्न अवस्थाओं में रद्द किया जा सकेगा :–

(i) कर्मी की उम्र परीक्षा में भाग लेने के लिये निर्धारित उम्र सीमा में नहीं होना।

(ii) शैक्षणिक योग्यता सहित निर्धारित अर्हताओं को पूरा नहीं करना।

(iii) निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा नहीं करना।

(iv) प्रमाण पत्रों की जाँच के अवसर पर उम्मीदवारी के समर्थन में आवश्यक अर्हताओं से सम्बन्धित यथा निर्धारित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्रस्तुत नहीं करना।

(v) आयोग की परीक्षा में नकल करना।

(vi) आयोग की परीक्षा में अपने बदले किसी अन्य व्यक्ति को फर्जी ढंग से शामिल करना।

(vii) कर्मी द्वारा आवेदन में गलत तथ्य देकर परीक्षा में शामिल होने का अधिकार पा जाना, जो किसी भी समय प्रमाणित हो। इस विषय पर आयोग को निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित होगा।

(viii) आयोग की परीक्षा में शामिल होने के लिये प्रवेश पत्र जारी होना कर्मी की उम्मीदवारी को संरक्षित नहीं कर सकेगा।

(ix) कर्मी की उम्मीदवारी रद्द करने के विषय पर निर्णय लेने के पूर्व उसे अपना पक्ष रखने के लिये समुचित अवसर दिया जायेगा तथा पूरे मामले पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त आयोग विधिसम्मत निर्णय लेगा।

(x) उम्मीदवारी को रद्द करने के विषय पर निर्णय की जानकारी कर्मी को यथासमय दी जायेगी।

(xi) परीक्षाफल प्रकाशन होने के 7 दिनों के अन्दर कोई भी परीक्षार्थी विहित प्रपत्र में निर्धारित शुल्क के साथ पुर्नमूल्यांकन के लिए आवेदन दे सकेगा। इसका यथाशीघ्र निष्पादन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षार्थी को सूचित किया जायेगा।

(xii) किसी परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थियों द्वारा सामूहिक नकल/कदाचार किये जाने की शिकायत होने और जाँच में इसे प्रमाणित पाये जाने पर उक्त परीक्षा केन्द्र पर संपादित परीक्षा को रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। परीक्षा रद्द होने की स्थिति में पुनः उसकी परीक्षा नहीं ली जायेगी।

(xiii) परीक्षा की अवधि में किसी भी कर्मी को परीक्षा केन्द्र के बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा प्रारम्भ होने के बाद किसी भी कर्मी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

(xiv) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि Online भरा हुआ आवेदन पत्र Submit करने के पूर्व उसे एक बार भली भांति जाँच लें ताकि कोई त्रुटि न रह जाये।

(xv) वैसे कर्मी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हे संघ लोक सेवा आयोग/झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

To Search Govt Jobs Always Type JOBSARKARI.com in GOOGLE

JobSarkari.com (The Best Government Jobs Website)

(xvi) **परीक्षा केन्द्र के अन्दर मोबाइल फोन, पेजर, कैमरा, ब्लू टुथ, कैलकुलेटर, लॉग टेबल अथवा इस प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रोनिक उपकरण ले जाना वर्जित होगा एवं इसके उल्लंघन पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।** अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा केन्द्र के अन्दर किसी प्रकार की मूल्यवान अथवा कीमती वस्तु नहीं ले जायें। अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि अपने प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करें तथा परीक्षा केन्द्र परिसर में शांति एवं अनुशासन बनाये रखें।

(xvii) प्रवेश पत्र (Admit Card) आयोग के Website पर Upload होगा जिसे कर्मी Download कर परीक्षा में शामिल होंगे। प्रवेश पत्र (Admit Card) डाक से अलग से नहीं भेजा जायेगा। बिना प्रवेश पत्र (Admit Card) के परीक्षा में बैठने की अनुमति नही दी जायेगी। **अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से फोटोयुक्त मूल प्रमाण पत्र यथा आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस को साथ रखना होगा, जिसकी आवयश्यकतानुसार जाँच की जा सके।**

(xviii) परीक्षा से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेवसाईट पर दी जाऐंगी।

(xix) अपरिहार्य कारणों से परीक्षा के कार्यक्रम में परिवर्त्तन का अधिकार आयोग को सुरक्षित रहेगा।

(xx) **परीक्षा का परिणाम प्रकाशित करने के पूर्व अभ्यर्थियों को परीक्षा में प्राप्त अंको की जानकारी नहीं दी जायेगी। अभ्यर्थियों की जानकारी के लिए परीक्षाफल प्रकाशित होने के बाद उन्हें अपना अंक पत्र डाउनलोड करने के लिए लिंक आयोग के वेवसाईट पर उपलब्ध कराया जायेगा।**

20. परीक्षा की सम्भावित तिथि माह मई, 2018 के प्रथम पक्ष में।

ह0/–

परीक्षा नियंत्रक

To Search Govt Jobs Always Type JOBSARKARI.com in GOOGLE

JobSarkari.com (The Best Government Jobs Website)

अनुसूची–I

लिखित परीक्षा के तहत गणित, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान तथा कम्प्यूटर का मूलभूत ज्ञान सम्बन्धी पाठ्यक्रम

सामान्य ज्ञान

इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आस–पास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन–प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जिसे कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखण्ड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथा संभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सम–सामयिक विषय– वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल–खिलाड़ी, महत्त्वपूर्ण घटनाएँ। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएँ एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षिय योजना। झारखण्ड की सभ्यता, संस्कृति, भाषा स्थान, खान–खनिज, उद्योग, भूगोल एवं इतिहास, राष्ट्रीय आन्दोलन में झारखण्ड का योगदान, साहित्य, किास योजनाएँ, खेल–खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियाँ, पुरस्कार, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि।

सामान्य विज्ञान

सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन–प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित विषय रहेंगें, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से, जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, अपेक्षित है।

सामान्य गणित

इस विषय में सामान्यतः अंक गणित, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से सम्बन्धित प्रश्न रहेंगे। सामान्यतः इसमें मैट्रिक/10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे।

कम्प्यूटर का मूलभूत ज्ञान (Basic Knowledge of Computer)

इसमें कम्प्यूटर के विभिन्न उपकरणों एवं संचालन की विधि की जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

To Search Govt Jobs Always Type JOBSARKARI.com in GOOGLE

JobSarkari.com (The Best Government Jobs Website)

परिशिष्ट (I)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक– 7/जा.नि. –19–11/2008 का.–5682 दिनांक– 22 अक्टूबर, 2008 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार

....

(कार्यालय का नाम)
जाति प्रमाण–पत्र
(सभी कार्यों के लिये)

संख्या–.................................. तिथिः–...................
....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री .... निवासी, ग्राम/कस्बा/मोहल्ला ....डाकघर.......................... थाना .... जिला .... राज्य........... .... अनुसूचित जाति*/अनुसूचित जनजाति* श्रेणी के अन्तर्गत.................................. जाति/उप जाति के सदस्य हैं, जो झारखण्ड राज्य के लिये अनुसूचित जाति*/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी.............................. एवं/अथवा उनका/उनकी परिवार साधारणतः गांव/कस्बा.................................., शहर.............................., जिला.........................., राज्य....................में निवास करते हैं।

स्थान :– सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर
नाम ....

दिनांक :– पदनाम ....

(कार्यालय की मुहर)

(नोटः– जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. * बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा–23 एवं 24 के अन्तर्गत 5वीं तथा 6वीं अनुसूची में अंकित क्रमशः संविधान (अनुसूचित जाति) संशोधन आदेश 1950 एवं संविधान (अनुसूचित जनजाति) संशोधन आदेश 1950
2. * अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002.

———————

To Search Govt Jobs Always Type JOBSARKARI.com in GOOGLE

JobSarkari.com (The Best Government Jobs Website)

परिशिष्ट (II)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक– 7/जाति–19–11/2008 का.–10007 दिनांक– 29 अगस्त, 2012 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत कया जाने वाला जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पुत्री .... ग्राम/शहर .... थाना .... जिला .... झारखण्ड के रहने वाले/की रहने वाली हैं, जो झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–2001*,** की धारा–2 के अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के अधीन अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त .... समुदाय से आते/आती हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–3482 दिनांक– 10.06.2002 द्वारा अंगीकृत कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या–36012/22/93–स्था0 (एस.सी. टी.) दिनांक– 08.09.1993 की अनुसूची के स्तम्भ–3 में उल्लिखित व्यक्ति/वर्ग (क्रीमी लेयर) में शामिल नहीं हैं।

स्थान :– सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नाम ....

दिनांक :– पदनाम ....

(कार्यालय की मुहर)

(नोटः– जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. * झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में अंकित जातियाँ/उप जातियाँ।
2. ** झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा–2 में सन्निहित अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची, जो संकल्प संख्या–3885, दिनांक 05.11.2001, 801 दिनांक 11.02.2003, 3436 दिनांक 28.06.2004, 6337 दिनांक 08.12.2004, 6374 दिनांक 11.12.2004, 368 दिनांक 19.01.2006, 2759 दिनांक 01.06.2006, 3706 दिनांक 15.07.2006, 4447 दिनांक 24.08.2006, 5182 दिनांक 26.09.2006, 1604 दिनांक 28.03. 2007, 243 दिनांक 11.01.2008, 5108 दिनांक 23.09.2008, 4450 दिनांक 01.08.2001, 5826 दिनांक 19.09.2011, 697 दिनांक 26.09.2011, 6580 दिनांक 20.10.2011, 8060 दिनांक 17.12.2011 एवं 144 दिनांक 06.01.2012, 2855 दिनांक 27.03.2012 एवं समय–समय पर यथा संशोधित।

To Search Govt Jobs Always Type JOBSARKARI.com in GOOGLE

JobSarkari.com (The Best Government Jobs Website)

परिशिष्ट (III)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक– 14/स्थानीयता.नीति–14–03/2016 का.–4650 दिनांक– 02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

(अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा दिनांक– 02.06.2016 अथवा इसके बाद के तिथि में निर्गत झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा)

झारखण्ड सरकार

....

(कार्यालय का नाम)

झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र सं0 :–   दिनांक :–

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... पिता/पति श्री.. पता–ग्राम/वार्ड/शहर... ... पो0......................................थाना.................................. जिला...................................... के स्थानीय निवासी हैं और यह प्रमाण पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या–3198 दिनांक– 18.04.2016 की कंडिका– .... में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में निर्गत किया गया है। प्रमाण पत्र धारक की ओर से झारखण्ड के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के स्थानीय निवासी नहीं होने का प्रतिज्ञान की प्रतिबद्धता की गई है।

स्थान :–

दिनांक :–

कार्यालय का मुहर

प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले
पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम

To Search Govt Jobs Always Type JOBSARKARI.com in GOOGLE

JobSarkari.com (The Best Government Jobs Website)

परिशिष्ट (IV)

(अभ्यर्थी के पदस्थापन कार्यालय के कार्यालय प्रधान द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा)

झारखण्ड सरकार

...................(कार्यालय का नाम)...................

अनुभव एवं स्वच्छता प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र सं0 :– दिनांक :–

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... (अभ्यर्थी का नाम) .... की नियुक्ति झारखण्ड सरकार के .... (कार्यालय का नाम) .... में .... (पदनाम समूह 'घ') .... के पद पर विधिवत प्रक्रिया के तहत वेतनमान रू॰ .... ग्रेड वेतन रू॰ .... में दिनांक .... को हुई है। श्री/श्रीमती/सुश्री .... (अभ्यर्थी का नाम)...................... वर्त्तमान में दिनांक .... से .... तक .... (विभाग का नाम)........................, जिला ....(जिला का नाम)............ के पद पर कार्यरत हैं। समूह 'घ' के पद पर इनकी सेवा अवधि दस वर्षों से अधिक है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री ....(अभ्यर्थी का नाम, पदनाम, कार्यालय का पता).. ....निलम्बित नहीं हैं। इनके विरूद्ध वर्त्तमान में कोई संसूचित शास्ति प्रभावी नहीं है तथा कोई विभागीय कार्यवाही एवं आपराधिक कार्यवाही लंबित नहीं है।

स्थान :–

दिनांक :–

कार्यालय का मुहर

प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले
पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम

To Search Govt Jobs Always Type JOBSARKARI.com in GOOGLE

JobSarkari.com (The Best Government Jobs Website)

परिशिष्ट (V)

क्षेत्रीय लिपिक (समाहरणालय सहित) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा– 2017

श्रुतलेखक/स्क्राइब की विवरणी

1. कर्मी का नाम..2. रौल नं॰–

3. निःशक्तता का प्रकार एवं प्रतिशत–

4. परीक्षा केन्द्र का नाम 5. परीक्षा कक्ष सं॰ (इसे खाली छोड़ दें)

6. श्रुतलेखक/स्क्राइब का नाम–

7. श्रुतलेखक/स्क्राइब के पिता/पति का नाम–

8. श्रुतलेखक/स्क्राइब का पता–

9. श्रुतलेखक/स्क्राइब की जन्म तिथि–

10. श्रुतलेखक/स्क्राइब की शैक्षणिक योग्यता :–

परीक्षा या कोर्स का नाम	संकाय	वर्ष	उत्तीर्ण/अध्ययनरत	प्राप्तांक का प्रतिशत	बोर्ड/महाविद्यालय	कर्मी के साथ श्रुतलेखक/स्क्राइब का सम्बन्ध
1	2	3	4	5	6	7

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि श्रुतलेखक/स्क्राइब श्री/श्रीमती/सुश्री .... के सम्बन्ध में दी गई उपर्युक्त सूचना पूर्णतः सही है।

उक्त घोषणा के गलत पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति रद्द कर दी जाय।

श्रुतलेखक/स्क्राइब का हस्ताक्षर कर्मी का हस्ताक्षर

11. टिप्पणी–

वीक्षक का हस्ताक्षर केन्द्राधीक्षक का हस्ताक्षर

To Search Govt Jobs Always Type JOBSARKARI.com in GOOGLE